एकात्म भारत के लिए
सुचेन्द्र मिश्रा द्वारा प्रकाशित

एकात्म भारत

@EkatmaBharat
दैनिक एकात्म भारत

कार्तिक कृष्ण पक्ष, षष्ठी
सोमवार विक्रम संवत् 2076

जो एकात्म है वही भारत है

18 नवंबर 2019, इंदौर
e-paper : www.ekatmabharat.com

बिरसा मुंडा को सदियों तक याद किया जाएगा

हिसार

वनवासियों के गौरव और राष्ट्रभक्त बिरसा मुंडा को सदियों तक याद किया जाएगा। उन्होंने वनवासियों को जहां अधिकार दिलाने का काम किया, वहीं देश की आजादी के लिए लौ जगाने का गौरवशाली काम किया था। यह बात वनवासी कल्याण आश्रम के उपाध्यक्ष नीरज गुप्ता बिरसा मुंडा की याद में किए गए श्रद्धांजलि समारोह के दौरान संबोधन में कहे। गुप्ता ने कहा कि बिरसा मुंडा ने ताउम्र वनवासियों और कमजोर लोगों के हकों के लिए लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों से लोहा लेने वाले वीर बिरसा मुंडा को इस अवसर पर पुष्पांजलि दी गई। इस दौरान वनवासी कल्याण आश्रम हिसार के संरक्षक नेकराम ने अपनी वनयात्राओं पर आधारित संस्मरण सुनाकर वनवासी बंधुओं से जुड़ने का आह्वान किया। अनिल महता ने भी अपने विचार इस मौके पर रखे। कार्यक्रम में प्रदेश संगठन मंत्री जयभगवान संजीव अरोड़ा, गौरव सिंगला, अनिल कुमार, जगदीश बंसल, राजेश चुघ, अजय सैनी, पर्व गुप्ता शरद पांडे, श्रवण, परीक्षित व समीर सरदाना आदि उपस्थित थे।

राम मंदिर का काम पूरा, जनसंख्या नियंत्रण कानून आने के बाद राजनीति से संन्यास ले लूंगा

राम मंदिर और जनसंख्या नियंत्रण कानून ही मेरे राजनीतिक जीवन के लक्ष्य, बोले गिरिराज सिंह

कटिहार

एक बार सत्ता में आने के बाद सामान्यतः नेता उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं लेकिन बिहार से आने वाले गिरिराज सिंह इस भीड़ में अलग दिखाई देते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शनिवार को कहा कि राजनीति से संन्यास लेने का समय आ गया है। उन्होंने कहा है कि वे जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए कानून लागू होने के बाद वह संन्यास ले लेंगे। मीडिया से बात करते हुए सिंह ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और जनसंख्या नियंत्रण उनके राजनीतिक करियर के दो मुख्य लक्ष्य हैं। जिनमें से एक सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद लगभग पूरा हो गया है, दूसरे के पूरा होते ही वे राजनीति छोड़ देंगे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'अयोध्या में राम मंदिर बनाने का मेरा काम पूरा हो गया है। मेरे जैसे लोगों के रिटायर होने का समय आ गया है। जनसंख्या नियंत्रण का कानून लागू होने के बाद मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा।'

मंत्री सिंह सोशल मीडिया पर बहुत लोकप्रिय हैं और उनके ट्वीट्स हजारों की संख्या में रीट्वीट किए जाते हैं। यहां तक कि सोशल मीडिया में उनके नाम का क्रेज देखते हुए उनके कई फेक एकाउंट भी चल रह हैं। वे पहले भी कई बार जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग कर चुके हैं। पिछले महीने भी उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता फैलाने वाले कार्यक्रम में भाग लिया था और कहा था कि देश में बढ़ती जनसंख्या पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गिरिराज सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम पर असम सरकार को

धन्यवाद देते हुए ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल से पूछा कि क्या उनकी नजर में हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री है? गिरिराज ने ट्वीट कर कहा था, 'बदरुद्दीन अजमल की नजर में हिंदुस्तान में इस्लाम क्या सिर्फ बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री है... क्या ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया इत्यादि देशों में इस्लाम नहीं है जहां जनसंख्या नियंत्रण के लिए कारगर उपाय किए गए हैं।'

केंद्रीय मंत्री ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख तथा सांसद बदरुद्दीन अजमल के एक कथित बयान के संदर्भ में यह ट्वीट किया है। अजमल ने असम सरकार द्वारा दो से ज्यादा बच्चों के माता-पिता को सरकारी नौकरी न देने सम्बन्धी प्रस्तावित कानून पर कहा था कि सरकार मुसलमानों को नौकरी न देने के लिये यह प्रस्ताव लायी है लेकिन मुस्लिम किसी की नहीं सुनेंगे और संतानोत्पत्ति जारी रखेंगे। गिरिराज ने कहा था, '1951 में देश की जनसंख्या 36 करोड़ थी जो अब 137 करोड़ हो गई है और हर साल दो करोड की जनसंख्या वृद्धि हो रही है. असम सरकार को धन्यवाद देता हूं कि जो काम हिंदुस्तान में बहुत पहले हो जाना चाहिए था, वहां की सरकार वो कर दिखाया।'

गिरिराज सिंह की लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जाने के अभियान भी सोशल मीडिया पर चलते रहते हैं।

अयोध्या मामले में पुनर्विचार याचिका के खिलाफ हैं मुख्यवादी इकबाल अंसारी

अयोध्या

अयोध्या भूमि विवाद मामले के मुख्य वादी इकबाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की योजना से रविवार को दूरी बना ली है। बता दें, नौ नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही अंसारी ने कहा था कि वह फैसले पर पुनर्विचार की मांग नहीं करेंगे। वहीं बोर्ड ने रविवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का निर्णय किया। इसके कुछ ही समय बाद ही अंसारी ने कहा, 'पुनर्विचार की मांग करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नतीजा यही रहेगा। यह कदम सौहार्दपूर्ण वातावरण को भी बिगाड़ेगा।'

उन्होंने कहा, 'मेरी राय बोर्ड के विचारों से अलग है और मैं इसी समय मंदिर-मस्जिद मुद्दे को समाप्त करना चाहता हूं।' बोर्ड ने रविवार को पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का फैसला करते हुए कहा कि वह मस्जिद के लिए पांच एकड़ वैकल्पिक जमीन लेने के खिलाफ है। बोर्ड के सचिव जफरयाब जिलानी ने लखनऊ में बोर्ड की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, 'मस्जिद अल्लाह की है और शरिया के तहत इसे किसी और को नहीं दिया जा सकता।' उन्होंने कहा, 'बोर्ड ने साफ कहा है कि वह मस्जिद की जगह अयोध्या में पांच एकड़ जमीन लेने के खिलाफ है। बोर्ड की राय है कि मस्जिद का कोई विकल्प नहीं हो सकता।' सुप्रीम कोर्ट ने नौ नवंबर को बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मामले में अपने फैसले में कहा था कि 2.77 एकड़ विवादित जमीन राम लला को सौंपी जानी चाहिए, जो तीन वादियों में से एक हैं। इसके साथ ही पांच न्यायाधीशों की पीठ ने केंद्र सरकार को यह निर्देश भी दिया था कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में पांच एकड़ जमीन दी जाए।